- विधीनुसार गठित एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक उपाधि में 50 प्रतिशत अंको से उत्तीर्ण व भारतीय विश्वविद्यालय संघ/आई.ओ.ए./एस.जी.एफ.आई./भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त खेलकूद में अन्तर महाविद्यालय/ इन्टर जोनल/ जिला/विद्यालय स्तर पर जिला प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी होना आवश्यक हैं,

अथवा

- शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.ई. तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) उपाधि में 45 प्रतिशत अंको में उत्तीर्ण हों।

अथवा

- स्नातक उपाधि में 45 प्रतिशत अंको से उत्तीर्ण हों एवं स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा विषय अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हों।

अथवा

- स्नातक उपाधि में 45 प्रतिशत अंको से उत्तीर्ण व भारतीय विश्वविद्यालय संघ/आई.ओ.ए./एस.जी.एफ. आई./भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त खेलकूद में राष्ट्रीय/अन्तर विश्वविद्यालय/राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता अथवा अन्तर महाविद्यालय/इन्टर जोनल/जिला/विद्यालय स्तर पर जिला प्रतियोगिताओं में प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त अभ्यर्थी हों।

अथवा

- स्नातक उपाधि उत्तीर्ण एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ/आई.ओ.ए./एस.जी.एफ.आई./भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त खेलकूद में राष्ट्रीय/अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त अभ्यर्थी हों।

अथवा

- स्नातक उपाधि में 45 प्रतिशत अंको से उत्तीर्ण हो एवं सरकारी सेवा में सेवारत शारीरिक शिक्षा शिक्षक/प्रशिक्षक को कम से कम तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव हों।

राजस्थान सरकार के प. 10 (3) शिक्षा–4/2012 पार्ट दिनांक 01 अप्रेल, 2016 के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित अर्हता अंकों में 5 प्रतिशत अंको की छूट लागू होगी।
जो अभ्यर्थी इस सत्र में स्नातक परीक्षा के अन्तिम वर्ष की परीक्षा में प्रविष्ठ हो रहे है, वे भी आवेदन कर सकते है। इन अभ्यर्थीयों को साक्षात्कार (**Counselling**) के समय उत्तीर्ण की मूल अंकतालिका, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, दसवीं, हायर सैकेण्डरी की मूल अंकतालिका सहित व दो फोटों प्रति प्रमाणित करा कर प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा अपात्र घोषित मानें जावेगें।

2. **आयुः–** बी.पी.एड. में प्रवेश हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु गणना का आधार इस वर्ष का 30 जून, 2020 होगा। 30 जून को न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु पुरूष (सामान्य वर्ग) 28 वर्ष, सामान्य वर्ग (महिला), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (पुरूष व महिला) 33 वर्ष, सेवारत शारीरिक शिक्षा शिक्षक 45 वर्ष व पूर्व सैनिक 40 वर्ष होगा।
3. **शारीरिक योग्यताः–** बी.पी.एड. में प्रवेश हेतु प्रवेशार्थी शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हो एवं उसमें शारीरिक क्रियाओं को करने की क्षमता हो। खेलों को खेलने में शारीरिक अयोग्यता, विकलांगता, गूंगापन, अंधापन एवं नितान्त बहरापन नही होना चाहिए। महिला प्रवेशार्थी शारीरिक क्षमता परीक्षण एवं सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के दौरान गर्भावस्था में नही होनी चाहिए। उक्त अयोग्यताएं होने पर प्रवेशार्थी प्रवेश हेतु पात्र नही होगा एवं प्रशिक्षण के दौरान उक्त अयोग्यताएं होने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। उक्त शारीरिक अयोग्यताएं न होने एवं शारीरिक तथा मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र साक्षात्कार एवं शारीरिक क्षमता परीक्षण के दिन राजकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त, प्रस्तुत करना होगा जो पन्द्रह दिनों से पूर्व का नही होना चाहिए।
   निर्देश में वर्णित शारीरिक अयोग्यताओं के बारें में यदि कोई संशय हो तो प्रवेश के समय प्रवेश गठित स्थानीय मेडिकल बोर्ड के पास भिजवाया जायेगा, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर निर्णय प्रवेश के समय प्रवेश समिति एवं प्रशिक्षण के दौरान प्राचार्य द्वारा लिया जाएगा।

1. **शारीरिक क्षमता परीक्षणः–** प्रवेशार्थी को प्रवेश हेतु शारीरिक क्षमता परीक्षण (फिटनेस टेस्ट) उत्तीर्ण करना आवश्यक है। इसका वरीयता निर्धारण में कोई योगदान नहीं होगा।